राजीव कृष्णा
आई0पी0एस0
पुलिस महानिदेशक एवं
राज्य पुलिस प्रमुख, उ0प्र0

डीजी–परिपत्र संख्या–39/2025

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
सिग्नेचर बिल्डिंग, लखनऊ।
दिनांक– अक्टूबर, 05 2025, लखनऊ

विषय–ए0एच0टी0 थानों (Anti-Human Trafficking Police Station) के सुदृढ़ीकरण, गृह मंत्रालय भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुपालन एवं मानव दुर्व्यापार/गुमशुदा बच्चों के प्रकरणों में विवेचना विषयक दिशा–निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया

आप अवगत हैं कि मानव दुर्व्यापार (तस्करी) एक विश्वव्यापी संगठित अपराध है, जिसकी जड़ें बहुत गहरी एवं भारत के साथ ही विश्व के अनेक देशों तक फैली हुई हैं। बी0एन0एस0 2023 की धारा 143 के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति द्वारा शोषण के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को धमकियों, प्रलोभन अथवा बल का प्रयोग करके, जबरदस्ती, अपहरण, कपट या धूर्तता अथवा उत्प्रेरण द्वारा (जिसमें भर्ती करना, परिवहन, आश्रय आदि सम्मिलित है) नियंत्रण रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिये कोई लेन–देन आदि किया जाता है तो वह मानव दुर्व्यापार का अपराध कारित करता है। यौन शोषण, वेश्यावृत्ति, जबरन मजदूरी, जबरन शादी, घरेलू दासता, अवैधानिक रूप से गोद लेना, भीख मँगवाना, अंग प्रत्यारोपण, नशीली दवाओं का दुर्व्यापार आदि मानव तस्करी के विभिन्न रूप हैं जो महिलाओं एवं बच्चों के बुनियादी मानवाधिकारों का हनन है। ऐसे अपराधों को तत्काल पंजीकृत करने एवं ठोस विवेचनात्मक कार्यवाही हेतु मुख्यालय स्तर से पूर्व में कई दिशा–निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं।

1. परिपत्र संख्याः– 19/2024 दिनांक 15.04.2024–04 माह तक बरामदगी न होने पर ए.एच.टी. थाने को स्थानान्तरण।
2. परिपत्र संख्याः– 04/2021 दिनांक 08.02.2021– गुमशुदा/अपहरण/व्यपहरण के प्रकरणों में विवेचनात्मक कार्यवाही
3. परिपत्र संख्याः– 32/2018 दिनांक 21.06. 2018–गुमशुदा बच्चों के प्रकरणों को एस.आर. केस धारा–363 में ए.एच.टी. को सूचना देना
4. परिपत्र संख्याः– 42/2017 दिनांक 02.12. 2017–गुमशुदा अपहृत बच्चों/महिलाओं के अभियोग पंजीकरण एवं बरामदगी के संबंध में

इसी क्रम में आप अवगत हैं कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में पुलिस विभाग के अंतर्गत एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट गठित की गई है जिसे वर्तमान में थाने के रूप में परिवर्तित किया जा चुका है, साथ ही बजट आवंटन कर दो पहिया व चार पहिया वाहन, कम्प्यूटर, फर्नीचर, कैमरा, वायरलेस सेट, मोबाइल इत्यादि आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराये गये हैं। ए0एच0टी0 थानों के सुदृढ़ीकरण करने तथा मानव तस्करी/गुमशुदगी के अभियोगों की

विवेचनात्मक कार्यवाही के संबंध में पूर्व में निर्गत निर्देशों के क्रम में निम्न दिशा–निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं जिनका अनुपालन सर्वथा सुनिश्चित किया जाये–

मानव दुर्व्यापार रोधी थानों का सुदृढ़ीकरण

- जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रायः यह देखने में आया है कि सभी कमिश्नरेट/जनपदों में गठित ए0एच0टी0 थाने नियमित रूप से क्रियाशील नहीं हैं तथा ए0एच0टी थाने में मानक के अनुसार पुलिस बल की तैनाती नहीं है। यह स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक है।
- **जैसा कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक जनपदीय ए0एच0टी थाने में कम से कम 01 निरीक्षक, 02 उपनिरीक्षक, 02 मुख्य आरक्षी तथा 02 आरक्षी की तैनाती किया जाना अपरिहार्य है, यह संख्या अपराध एवं कार्यभार के अनुसार बढ़ाई जाये।**
- प्रायः ए0एच0टी थाने में तैनात पुलिस बल को अन्य कार्यो (कानून व्यवस्था व अन्य सुरक्षा गश्त आदि) हेतु डयूटी पर लगा दिया जाता है, जिससे ए0एच0टी थाने से सम्बन्धित अति महत्वपूर्ण विवेचनात्मक कार्य प्रभावित होते हैं। इसलिए सभी को निर्देशित किया जाता है कि ए0एच0टी0 थाने में कार्यरत पुलिस बल को यथासंभव अन्य कार्यों में न लगाया जाय।
- ए0एच0टी0 थाने को जो आवश्यक समस्त संसाधन जैसे पर्याप्त कक्ष व परिसर, मूलभूत सेवायें, कम्प्यूटर, मोबाइल, वाहन (दो पहिया व चार पहिया) फर्नीचर आदि उपलब्ध कराये गये हैं इनका उपभोग ए0एच0टी0 थाने द्वारा मानव तस्करी से संबंधित प्रकरणों की कार्यवाही में ही किया जाये। ए0एच0टी0 थाने के संसाधन विशेषकर वाहनों का प्रयोग अन्य किसी कार्य हेतु न किया जाये।

प्रथम सूचना रिपोर्ट

- ए0एच0टी0 थाने पर प्राप्त होने वाले मानव तस्करी के प्रकरणों में बिना विलम्ब किये प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किया जाये तथा अविलम्ब विवेचनात्मक कार्यवाही/सर्च/रेस्क्यू आपरेशन प्रारम्भ हो।
- मानव तस्करी से सम्बन्धित कोई शिकायत स्थानीय थाने में प्राप्त होने पर शिकायतकर्ता की शिकायत को स्थानीय थाने पर ही तत्काल सुसंगत धाराओं में एफ0आई0आर0 के रूप में पंजीकृत किया जायेगा तथा एफ0आई0आर0 की एक प्रति शिकायतकर्ता को उपलब्ध करायी जायेगी। तत्पश्चात प्रकरण को अविलम्ब (24 घंटे के भीतर) समय में ए0एच0टी0 थाने को स्थानान्तरित कर दिया जायेगा जिसकी सूचना शिकायतकर्ता को दी जायेगी।
- स्थानीय थानों में पंजीकृत होने वाले गुमशुदगी या अन्य प्रकरणों से सम्बन्धित ऐसे सभी अभियोगों को, जिनमें विवेचना के दौरान किसी भी समय मानव तस्करी से संबंधित कोई साक्ष्य प्रकट होते है, तो उन्हें ए0एच0टी0 थाने को स्थानांतरित कर दिया जायेगा।

- जनपदीय थानों द्वारा मानव तस्करी से सम्बन्धित स्थानान्तरित किये जाने वाले अभियोगों को पुलिस कमिश्नरेट/जनपदीय पुलिस प्रमुख के आदेश से ही जनपदीय ए0एच0टी0 थाने को स्थानान्तरित किया जायेगा।

विवेचनात्मक कार्यवाही

- गुमशुदा/लापता नाबालिग के मामलों में किशोर न्याय अधि0 के आदर्श नियम 2016 के नियम 92 (5) के अंतर्गत जहां ऐसा बालक/बालिका चार माह तक बरामद नहीं हो सका है, ऐसे प्रकरण को संबंधित जिले के ए0एच0टी0 थाने में स्थानांतरित किये जाने विषयक प्रावधान एवं तत्विषयक निर्देश पूर्ववत प्रभावी रहेंगे। ऐसे अभियोगों की विवेचना प्रभावी रूप से करते हुए उसकी प्रगति के बारे में ए0एच0टी0 थाना प्रत्येक तीन माह में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को रिपोर्ट प्रेषित करेगा।
- मानव तस्करी से सम्बन्धित ऐसे स्थानान्तरित अभियोगों की विवेचनात्मक कार्यवाही तत्काल ए0एच0टी0 थाना प्रभारी द्वारा प्रचलित कर दी जायेगी तथा ए0एच0टी0 थाने की प्रशिक्षित टीम द्वारा स्थानीय पुलिस के सहयोग से सर्च/रेस्क्यू आपरेशन तत्परता पूर्वक संचालित किया जायेगा। जिससे ऐसे मानव तस्करी के प्रकरणों में गुमशुदा बालक/व्यक्तियों की तलाश व बरामदगी बिना समय गंवाये या बिना साक्ष्य नष्ट हुए, की जा सके।

पुनर्वास एवं विधिक परामर्श

- मानव तस्करी से पीड़ित व्यक्तियों के समुचित पुनर्वास, चिकित्सा उपचार, विशेषज्ञ द्वारा काउंसलिंग, निःशुल्क विधिक सहायता, आश्रय एवं क्षतिपूर्ति आदि सेवायें, संबंधित विभागों के सहयोग से उपलब्ध करायी जायेंगी। जिसके लिए ए0एच0टी0 थाने के प्रभारी प्रभार ग्रहण करते ही संबंधित विभागों के सक्षम अधिकारियों से यथा अपेक्षित समन्वय स्थापित करेंगे।
- जनपदीय ए0एच0टी0 थाना प्रभारी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित बाल गृह, चाइल्ड हेल्पलाइन, वन स्टाप सेन्टर, बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा परीक्षण व उपचार सेवाओं तथा श्रम विभाग के अधिकारीगण सहित जनपद में अन्य विशेषज्ञों एवं संसाधनों की लिस्ट तैयार कर आवश्यकता पड़ने पर समन्वय स्थापित करेंगे।
- ए0एच0टी0 थाने पर प्रचलित/विवेचनाधीन अभियोगों की विवेचना एवं सर्च/रेस्क्यू आपरेशन से सम्बन्धित विधिक बिन्दुओं पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA)/जनपदीय लोक अभियोजक से विधिक सहायता ली जायेगी।
- प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास उ0प्र0 के शासनादेश सं0: 3007/60–1–12–1/13(71)/06 दिनांक 04.09.2012 के माध्यम से केन्द्र पुरोनिधानित समेकित बाल संरक्षण योजना (Integrated Child Protection Scheme) के अन्तर्गत महिला कल्याण विभाग द्वारा मिशन वात्सल्य योजना के अन्तर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई में 70 काउंसलर, चाइल्ड हेल्पलाइन में 59 काउंसलर एवं वन स्टाप सेन्टर में 70

काउंसलर जिनकी कुल संख्या 199 है, की तैनाती किये जाने का प्रावधान के क्रम में वर्तमान में सभी काउंसलर को नामित किया गया है जो नियमित रूप से कार्यरत है। इन काउंसलर्स का आवश्यकतानुसार सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन (W.C.S.O.) मुख्यालय द्वारा इन काउंसलर्स की सूची प्रत्येक तीन माह में अद्यावधिक करते हुये जनपदों को प्रेषित की जायेगा।

समीक्षा एवं पर्यवेक्षण

- कमिश्नरेट एवं जनपदीय पुलिस प्रमुख द्वारा जनपद में प्रत्येक माह आयोजित होने वाली अपराध गोष्ठी में ए0एच0टी0 थाने में तैनात थाना प्रभारी के माध्यम से मानव तस्करी से सम्बन्धित प्रकरणों की विवेचना व सर्च/रेस्क्यू आपरेशन की समीक्षा की जायेगी।
- ए0एच0टी0 थाने में पंजीकृत समस्त अभियोगों व थानों से स्थानान्तरित होकर आने वाले अभियोगों की विवेचना एवं सर्च/रेस्क्यू आपरेशन ए0एच0टी0 थाने द्वारा प्राथमिकता के आधार पर की जायेगी, जिसका मासिक पर्यवेक्षण नोडल अधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा नियमित रूप से किया जायेगा।
- कमिश्नरेट/जनपदीय पुलिस प्रमुख द्वारा मानव तस्करी से सम्बन्धित प्रकरण का अनावरण 06 माह तक न होने पर विवेचना व सर्च/रेस्क्यू आपरेशन के संबंध में त्रैमासिक सघन पर्यवेक्षण किया जायेगा।

जागरूकता एवं सामान्य निर्देश

- जनपद में मानव तस्करी से संबंधित कानूनी प्रावधानों एवं मानव तस्करी रोधी थानों की भूमिका के बारे में जनजागरूकता एवं ए0एच0टी0 थाने के स्टाफ के क्षमतावर्धन हेतु समय समय पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाये।
- उक्त प्रकरणों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जायेगी। सर्च/रेस्क्यू आपरेशन में लापरवाही/उपेक्षा किये जाने के प्रकरणों में प्रकरण स्थानांतरित करने वाले स्थानीय थाने व जनपदीय ए0एच0टी0 थाने के संबंधित अधिकारी/कर्मचारी समान रूप से जिम्मेदार होंगे।

अतः आप सभी से अपेक्षा है कि उपरोक्त बिंदुओं का स्वयं गंभीरता से अध्ययन कर लें एवं कार्यशाला के माध्यम से कमिश्नरेट/जनपद में नियुक्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को इन निर्देशों के संबंध में विस्तार से अवगत कराते हुए सतर्क कर दें कि वे अपने दायित्वों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं उदासीनता न बरतें।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(राजीव कृष्णा)

समस्त पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
प्रभारी जनपद/जी0आर0पी0, उ0प्र0।

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था/अपराध/महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन/तकनीकी सेवायें/राजकीय रेलवे पुलिस, उ0प्र0।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
4. पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, उ0प्र0।